



उ० प्र० सूचना का अधिकार नियमावली-2015
U.P. Right to information rules-2015

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग 2
अधिसूचना

संख्या 544/43-2-2015-सू0आ0नि0 2015(1)2015

लखनऊ

साधारण खंड अधिनियम 1897(अधिनियम संख्या 10, सन् 18970 की धारा 21 के साथ पठित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन्, 2005) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली 2006 से संबंधित अधिसूचना संख्या 1424/43-2-2006-15/2(2)/03(टी०सी०) दिनांक नवम्बर 27, 2006 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 से संबंधित अधिसूचना संख्या 528/43-2-2006, दिनांक अप्रैल 13, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई है या जिसके किये जाने का लोप किया गया है, राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 कही जाएगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। (3) ऐसी शिकायतें और अपीले जो इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक को या उसके पूर्व दाखिल की गई है और उचित पाई गई है और उक्त दिनांक के पूर्व पहले से ही पंजीकृत है, के संबंध में कार्यवाही पूर्ववत की जाएगी और उनका उनमें किसी शैथिल्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें नामंजूर नहीं किया जाएगा।
परिभाषाएं	2. (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस नियमावली में (क) “ अधिनियम ” का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन 2005) से है; (ख) “ अपीलार्थी ” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील दायर की हो; (ग) “ प्राधिकृत प्रतिनिधि ” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी पक्षकार द्वारा आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो; (घ) “ मुख्य सूचना आयुक्त ” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त से है; (ङ) “ आयोग ” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से है और उसके अंतर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त भी है; (च) “ शिकायतकर्ता ” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अधिनियम की धारा 18 के अधीन आयोग के समस्त कोई शिकायत दायर की हो; (छ) “ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ” का तात्पर्य लोक प्राधिकरण में ऐसे अधिकारी से है जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से पंक्ति में ज्येष्ठ हो और उसे अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन

	<p>लोक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या अधिसूचित किया गया हो और उसे राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;</p> <p>(ज) “प्रारूप” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप से है;</p> <p>(झ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;</p> <p>(य) “सूचना आयुक्त” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त से है;</p> <p>(त) “रजिस्ट्रार” का तात्पर्य आयोग के रजिस्ट्रार से है और उसके अंतर्गत संयुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार भी सम्मिलित हैं;</p> <p>(थ) “सचिव” का तात्पर्य आयोग के सचिव से है और उसके अंतर्गत संयुक्त सचिव और उपसचिव भी सम्मिलित हैं;</p> <p>(द) “राज्य लोक सूचना अधिकारी” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी लोक प्राधिकरण द्वारा इस रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी से है और उसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी सम्मिलित हैं;</p> <p>(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।</p>
<p>लोक प्राधिकरण राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी</p>	<p>3-(1) सरकार का प्रत्येक विभाग अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की सूची तैयार कर अधिसूचित करेगा।</p> <p>(2) प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधीन प्रशासनिक इकाइयों तथा कर कार्यालयों में उतनी संख्या में जितनी आ सकता है, अधिकारियों को राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा, व ऐसी नियुक्त संबंधित अधिकारी के नाम से न होकर पदनाम से की जाएगी।</p> <p>(3) प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गई अपील सुनकर उस पर निर्णय देने हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, व ऐसी नियुक्त संबंधित अधिकारी के नाम से न होकर पदनाम से की जाएगी।</p> <p>(4) सरकार के प्रत्येक विभाग के अधीन लोक प्राधिकरणों की सूची तथा ऐसे प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा प्रारूप-1 में दिए गए रूपविधान पर तैयार कर अधिसूचित की जाएगी, तथा ऐसी अधिसूचना की एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।</p>
<p>सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध को शासित करने वाले नियम</p>	<p>4-(1) कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक प्राधिकरण से कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से संबंधित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अनुरोध प्रारूप-2 पर दिए गए रूपविधान में किया जाएगा।</p> <p>परंतु सादे कागज पर लिखित सूचना अभिप्राप्त करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध एवं साथ में प्रारूप-2 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों को राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा विचारार्थ प्राप्त किया जाएगा।</p>

(2) अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए किसी अनुरोध के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए;

(क) मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिए।

(ख) मांगी गई सूचना।

(एक) में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अन्तर्वर्तित नहीं होना चाहिए जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के किसी नियम या विनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है; या

(दो) में विद्यमान आंकड़ों का नए सिरे से इस निर्वचन या विश्लेषण करने या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; या

(तीन) में काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए; या

(चार) में प्रश्न "क्यों" जिसके माध्यम से किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने के औचित्य की मांग की गई हो, का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए; या

(पांच) इतनी विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि उसके संकलन में संसाधनों का अननुपाती रूप में विचलन अन्तर्ग्रस्त हो जाने के कारण संबंधित लोक प्राधिकरण की दक्षता प्रभावित हो जाए।

(ग) सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध में 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए।

(3) राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की पावती सम्यक रूप से अभिस्वीकार करेगा और उसके विवरण को उक्त परियोजन के लिए प्रारूप -3 में दिए गए रूपविधान में रखी गई आवेदन पंजी में प्रविष्ट करेगा।

(4) अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के अनुरोध के साथ नियम 5 में विहित शुल्क संलग्न किया जाएगा।

(5) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी यह पाता है कि सूचना के प्रकटन के लिए किया गया अनुरोध अंशतः या पूर्णतः किसी एक अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो ऐसा राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने की दिनांक से 5 दिनों के भीतर, अनुरोध हो या उसके ऐसे भाग को जो उपयुक्त हो प्रारूप-4 पर दिए गए रूपविधान में, अन्य लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा, तथा नियत अवधि के भीतर वांछित सूचना का वह भाग जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, आवेदक को उपलब्ध करा देगा।

परंतु यदि किसी लोक प्राधिकरण से मांगी गई सूचना, अंशतः या पूर्णतः दो या दो से अधिक अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए किए गए अनुरोध को ऐसे अन्य लोक प्राधिकरणों को अंतरित नहीं किया जाएगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना का केवल वह भाग उपलब्ध कराएगा जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, तथा आवेदक को परामर्श देगा कि वह अन्य संबंधित लोक प्राधिकरणों, जहां वांछित सूचनाओं के अन्य भाग धारित हैं, के राज्य लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष अलग-अलग सूचना के अनुरोध प्रस्तुत करें।

(6) सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के उपबंधों के अनुसार अनुरोध को निस्तारित करेगा।

- (क) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गई सूचना दी जानी है, तो वह आवेदक को सूचना प्रारूप-5 में प्रदान करेगा। सूचना दिए जाने की दिनांक को उपरोक्त उपनियम-(3) उल्लिखित पंजी में प्रविष्टि किया जाएगा।
- (ख) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो की मांगी गई सूचना किसी ऐसी अग्रतर फीस की भुगतान पर ही प्रदान की जा सकती है जो नियम 5 में यथाविहित सूचना प्रदान करने की लागत का निरूपण करती हो, तो वह तदनुसार आवेदक को प्रारूप -6 में सूचित करेगा और उसके विवरण को उपरोक्त उपनियम (3) में उल्लिखित पंजी में प्रविष्टि करेगा।
- (ग) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो की सूचना के लिए किए गए अनुरोध को अधिनियम तथा/अथवा नियमावली के किसी प्रावधान के तहत अस्वीकार किया जाना है तो वह ऐसी अस्वीकृति को प्रारूप साथ में आवेदक को संसूचित करेगा अस्वीकृत के दिनांक को उपनियम (3) में उल्लेखित पंजी में प्रविष्टि किया जाएगा।
- (7) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि सूचना का कोई भाग नहीं प्रदान किया जा सकता है क्योंकि उसको प्रकट किए जाने से छूट प्रदान की गयी है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना के केवल ऐसे भाग तक पहुंच प्राप्त करा सकता है जिसे प्रकट किए जाने से छूट नहीं प्राप्त है और वह साथ-साथ आवेदक को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार प्रारूप -8 में नोटिस देगा।
- (8) जहां राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना प्रकट करने का आशय हो जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान की गई है और उस पर व्यक्ति द्वारा गोपनीय मानी गई है, वहां राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार प्रारूप--9 पर दिए गए रूपविधान में ऐसी पर व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकटन की बावत कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के निवेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखेगा।

<p>सूचना अभिप्राप्त करने हेतु फीस और लागत</p>	<p>5-(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकरण को संदेश समुचित प्राप्त के बदले में नगद स्वरूप या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा 10 का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा।</p> <p>(2) अधिनियम की धारा- 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकरण को सदैव समुचित प्राप्त के बदले में नकद स्वरूप या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा:-</p> <p>(एक) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए 2 रुपये;</p> <p>(दो) वृहत्तर आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य;</p> <p>(तीन) नमूनों या प्रतिदर्शों के लिए वास्तविक लागत या मूल और जहां सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहां इस प्रकार नियत किया गया मूल्य;</p> <p>(चार) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए दस रुपये का शुल्क और तत्पश्चात प्रत्येक 15 मिनट (या उसके आंशिक भाग) के लिए पांच रुपये का शुल्क।</p> <p>(3) धारा -7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए लोक प्राधिकरण को संदेश समुचित प्राप्त के बदले में नकद स्वरूप या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा शुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा;</p> <p>(एक) डिस्कट या फ्लोपी या कंपैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रतिक्रिया डिस्कट या फ्लोपी या कंपैक्ट डिस्क पचास रुपये, और</p> <p>(दो) मुद्रित रूप में प्रदान की गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल पर यह प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।</p> <p>(4) मानचित्र और रेखाचित्रों आदि के मामले में श्रम और सामग्री में लगाए जाने में अपेक्षित लागत के आधार पर प्रत्येक मामले में शुल्क संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।</p> <p>(5) उक्त शुल्क की धनराशि निम्न लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा की जायेगी। “0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-60- अन्य सेवायें-800- अन्य प्राप्तियां-11- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां”</p>
---	--

<p>शिकायतों का पंजीकरण और निस्तारण</p>	<p>6-(1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अनुसार आयोग में शिकायत फाइल कर सकता है;</p> <p>(2) शिकायत टंकित, मुद्रित अथवा स्वच्छ एवं पठनीय रूप से लिखित होनी चाहिए और तीन प्रतियों में फाइल की जानी चाहिए।</p> <p>(3) शिकायत प्रारूप -10 में प्रस्तुत की जाए। किसी शिकायतकर्ता द्वारा सादे कागज पर निम्नलिखित शिकायत प्रारूप -10 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों के साथ दायर की जा सकती है।</p> <p>(4) शिकायत के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज शिकायत के साथ संलग्न किए जाएं।</p> <p>(5) रजिस्टार द्वारा प्रत्येक शिकायत का परीक्षण किया जाएगा। यदि रजिस्टार का यह मत हो की शिकायत नियमावली के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वह शिकायत को उस में पाई गई कमियों को इंगित करते हुए कमियों को दूर करने हेतु शिकायतकर्ता को वापस कर देगा, और उसके विवरण को प्रारूप- 11 में परियोजन के लिए रखी गई पंजी में प्रविष्टि करेगा। यदि रजिस्टार का यह मत हो की शिकायत नियमावली के उपबंधों के अनुसार है तो यह शिकायत की को संख्याकित कराएगा और उसे प्रारूप -12 में उक्त परियोजन के लिए रखी गई पंजी प्रविष्टि कराएगा।</p> <p>(6) शिकायत पंजीकृत किए जाने के पश्चात रजिस्टार उसे संबंधित मामले पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त को अग्रेषित करेगा।</p> <p>(7) आयोग द्वारा शिकायत पर वाद संख्या आवंटित की जाएगी तथा शिकायत पर पहली सुनवाई की तिथि नियत की जायेगी।</p> <p>(8) आयोग शिकायतकर्ता और संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई के लिए नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस जारी करेगा। शिकायत की एक प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी को भी इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाएगी कि वह नियत दिनांक तक अपना लिखित कथन दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।</p> <p>(9) शिकायत की सुनवाई के दिनांक को राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिखित कथन की एक प्रति शिकायतकर्ता को उसके निवेदन के लिए, कोई हो, उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायत की विषय वस्तु, राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिखित कथन और सुनवाई के समय पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन पर विचार करने के पश्चात यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि मामले में जांच के लिए कोई युक्तियुक्त आधार विद्यमान नहीं है, तो वह शिकायत को खारिज कर देगा। यदि आयोग संतुष्ट होता है कि मामले में जांच करने के युक्तियुक्त आधार हैं, तो उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकता है, वह ऐसी जांच अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) और (4) और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।</p>
<p>अपीलों का पंजीकरण और निस्तारण</p>	<p>7-(1) कोई व्यक्ति जिसे, यथास्थिति, किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी से विहित समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी भी विनिश्चय से व्यथित है, विहित समय के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया हो। अपील प्रारूप- 13 में दिए गए रूपविधान में प्रस्तुत की जाएगी। किसी अपील कर्ता द्वारा सादे कागज पर लिखित अपील प्रारूप-13 में यथा अपेक्षित समस्त विवरणों के साथ दायर की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटारा अधिनियम की</p>

धारा 19 की उपधारा (1) और (2) एवं इस नियमावली के अनुसार करेगा।

(2) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से या विहित अवध के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसकी अपील का निस्तारण न किए जाने से कोई व्यक्ति आयोग को विहित समय के भीतर प्रारूप- 14 में द्वितीय अपील दायर कर सकता है। किसी अपील कर्ता द्वारा सादे कागज पर लिखित द्वितीय अपील प्रारूप- 14 में यथा अपेक्षित समझ विवरणों के साथ दायर की जा सकती है। ऐसी अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जो अपीलार्थी द्वारा सत्य प्रतियों के रूप में सम्यक रूप से सत्यापित होंगे, संलग्न किए जाएंगे:-

(एक) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत की गई सूचना संबंधी अनुरोध की एक प्रति;

(दो) राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(तीन) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को की गई अपील की एक प्रति;

(चार) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त आदेश, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(पांच) ऐसे दस्तावेजों की अन्य प्रतियां जिन पर अपीलार्थी निर्भर हो और जो उसकी अपील में निर्दिष्ट हो; और

(छः) अपीलार्थी की ओर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि उसके द्वारा इसके पूर्व उसी आधार पर उसी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई थी।

आयोग को की गई अपील टंकित, मुद्रित अथवा स्वच्छ एवं पठनीय रूप से लिखित होनी चाहिए और तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(3) आयोग में दायर की गई प्रत्येक अपील का परीक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रार का यह मत हो कि अपील इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वह अपील को उस में पाई गई कमियों को इंगित करते हुए, कमियों को दूर करने हेतु अपीलार्थी को वापस कर देगा और उसके विवरण को प्रारूप -11 में उक्त परियोजन के लिए रखी गई पंजी प्रविष्टि करेगा। यदि रजिस्ट्रार का यह मत हो कि अपील इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार है, तो वह निर्देशित करेगा कि अपील को संख्याकित किया जाय और उसे प्रारूप-15 में उक्त प्रयोजन के लिए रखी गयी पंजी में प्रविष्टि किया जाय।

(4) अपील पंजीकृत किये जाने के पश्चात रजिस्ट्रार उसे संबंधित मामले पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

(5) आयोग द्वारा अपील पर वाद संख्या आवंटित की जाएगी तथा अपील पर पहली सुनवाई की तिथि नियत की जाएगी।

(6) आयोग अपीलार्थी, राज्य लोक सूचना अधिकारी और संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को सुनवाई के लिए नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिसें जारी करेगा। अपील की एक-एक प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी इस निर्देश सहित प्रेषित की जाएगी कि वह अपना-अपना लिखित कथन दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(7) अपील की सुनवाई की तिथि को, राज्य लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिखित कथन की एक-एक प्रति अपीलार्थी को उसके निवेदन के लिए, यदि कोई हो, उपलब्ध कराई जाएगी। अपील की विषयवस्तु, राज्य लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिखित

	<p>कथनों और सुनवाई के समय पक्षकारों द्वारा किए निवेदन पर विचार करने के पश्चात आयोग, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील पर विचार करने के लिए युक्ति युक्त आधार है, उसके संबंध में अग्रतर सुनवाई के लिए एक तिथि निश्चित कर सकता है। ऐसी सुनवाई अधिनियम की धारा 19 और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। यदि आयोग का यह मत हो कि अपील पर अग्रतर विचार करने के लिए कोई युक्ति युक्त आधार विदमान नहीं है तो वह अपील को निरस्त कर देगा।</p> <p>(8) आयोग, अपील की सुनवाई करते समय-</p> <p>(एक) अपीलार्थी से शपथ पर मौखिक साक्ष्य शपथ-पत्र पर लिखित साक्ष्य ग्रहण कर सकता है;</p> <p>(दो) राज्य लोक सूचना अधिकारी और/ या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से शपथ-पत्र पर मौखिक साक्ष्य या शपथ-पत्र पर लिखित साक्ष्य ग्रहण कर सकता है;</p> <p>(तीन) पर व्यक्ति से या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसका साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, शपथ पर मौखिक साक्ष्य या शपथ पत्र पर लिखित साक्ष्य ग्रहण कर सकता है;</p> <p>(चार) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकता है।</p>
आयोग द्वारा नोटिस की तामील	<p>8- किसी शिकायत या अपील पर किसी सुनवाई में आयोग प्रारूप- 16 में किसी पक्षकार को नाम से नोटिस की तामील कर सकेगा। संबंधित व्यक्ति पर नोटिस की तामील निम्नलिखित में से किसी माध्यम से की जा सकेगी:-</p> <p>(एक) यथास्थिति, शिकायतकर्ता, अपीलार्थी या प्रतिवादी द्वारा तामील कराके;</p> <p>(दो) आदेशिका वाहक के माध्यम से दस्ती परिदान द्वारा;</p> <p>(तीन) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा;</p> <p>(चार) ईमेल पता उपलब्ध होने की दशा में, ईमेल द्वारा;</p>
शिकायत या अपील पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों की उपस्थिति	<p>9-(1) किसी शिकायत या अपील की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता या अपीलार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि द्वारा आयोग में उपस्थित हो सकता है। किंतु आयोग, यदि वह आवश्यक समझे, शिकायतकर्ता या अपीलार्थी, जैसा भी हो, को सुनवाई के विनिर्दिष्ट दिनांक को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन कर सकता है।</p> <p>(2) जिस राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत या अपील दायर की गई है वह स्वेच्छा से सुनवाई के दौरान उपस्थित रह सकता है किंतु आयोग अपने विवेकानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा यथोचित वरिष्ठता के उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु निर्देशित कर सकता है।</p>
सुनवाई का स्थगन	<p>10- किसी सुनवाई के दौरान कोई भी पक्षकार सुनवाई के स्थगन के लिए आवेदन कर सकता है यदि आयोग का यह मत हो कि स्थगन की मांग करने का कारण न्यायोचित और पर्याप्त है, तो वह स्थगन मंजूर कर सकता है।</p>
किसी कार्यवाही का एक पीठ से दूसरी पीठ को	<p>11- आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही से संबंधित किसी भी पक्ष द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करके उक्त कार्यवाही को सुनवाई कर रही पीठ से किसी अन्य पीठ को अंतरित करने की प्रार्थना की जा सकती है। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा उक्त आवेदन पर संबंधित सूचना आयुक्त की टिप्पणी, यदि कोई हो, पर विचारोंपरान्त, उक्त कार्यवाही को किसी अन्य पीठ को अंतरित किया</p>

अंतरण	<p>जा सकता है, यदि उसका यह मत हो कि ऐसे अंतरण के लिए समुचित आधार है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, किसी सूचना आयुक्त द्वारा अपने समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को किसी अन्य पीठ को अंतरित करने हेतु मुख्य सूचना आयुक्त से अनुरोध किया जा सकता है, तथा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा उक्त कार्यवाही को किसी अन्य पीठ को अंतरित किया जा सकता है, यदि उसका यह मत हो कि ऐसे अंतरण के लिए समुचित आधार है।</p>
आयोग द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर अपने आदेश की वापसी	<p>12-(1) आयोग के किसी आदेश से क्षुब्ध किसी पक्ष के आवेदन पर, आयोग द्वारा निम्न में से किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर अपने आदेश को वापस लिया जा सकेगा:</p> <p>(एक) आयोग द्वारा प्रश्नगत आदेश, आवेदक का कोई दोष ना होते हुए भी आवेदक को बिना सुने पारित किया गया है; अथवा</p> <p>(दो) आयोग द्वारा प्रकरण की सुनवाई वह निस्तारण नियत तिथि से भिन्न तिथि में कर दिया गया तथा आवेदक का कोई दोष न होते हुए भी व उक्त सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका।</p> <p>(2) आयोग के आदेश की जानकारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश की वापसी के लिए आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।</p> <p>(3) यदि आयोग का यह मत हो कि प्रथम दृष्टया आवेदन बलहीन है, तो वह वापसी संबंधी आवेदन पत्र को निरस्त कर सकता है।</p> <p>(4) यदि आयोग का यह मत हो कि प्रकरण पर सुनवाई की आवश्यकता है, तो ऐसे वापसी आवेदन पत्र पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व, आयोग द्वारा कार्यवाही से संबंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।</p>
शिकायत या अपील को वापस लिया जाना, उसका संशोधन या समापन किया जाना	<p>13- (1) किसी शिकायत या अपील पर सुनवाई के दौरान आयोग, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किए जाने पर शिकायत या अपील को वापस लिए जाने की अनुज्ञा दे सकता है।</p> <p>(2) आयोग यदि वह न्यायोचित और उपयुक्त समझे, सुनवाई के दौरान सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा लिखित रूप में किये गये अनुरोध पर किसी शिकायत, अपील या लिखित कथन में किसी संशोधन को मंजूर कर सकता है।</p> <p>(3) आयोग के समक्ष किसी शिकायत या अपील पर लंबित कार्यवाहिया यथास्थिति, शिकायतकर्ता या अपीलार्थी की मृत पर समाप्त हो जाएगी।</p>
आयोग का आदेश	<p>14- किसी शिकायत या अपील की सुनवाई की समाप्ति पर, आयोग, उसी दिनांक को या उक्त परियोजन के लिए नियत व पक्षकारों को संसूचित किसी आगामी तिथि पर आदेश पारित करेगा। आयोग के ऐसे प्रत्येक आदेश पर शिकायत या अपील की सुनवाई करने वाले आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर और तिथि अंकित की जाएगी।</p>
आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की वसूली की प्रक्रिया	<p>15-(1) आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार शासित अधिरोपित कर सकता है।</p> <p>(2) किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शासित अधिरोपित करने हेतु आयोग द्वारा पारित आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को अग्रसारित की जाएगी। उक्त आदेश की प्राप्ति के उपरांत, रजिस्ट्रार द्वारा आदेश के विवरण को प्रारूप-17 में उक्त प्रयोजन के लिए रखी गई पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा।</p>

	<p>3- शास्ति के आदेश को रजिस्ट्रार द्वारा प्रारूप-18 में संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को संबोधित एक पत्र द्वारा इस आशय से पहुंचाया जाएगा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन शास्ति की धन राशि की वसूली की जाए और इस धनराशि को नियत दिनांक तक निम्न लेखा शीर्षक में जमा किया जाए:-</p> <p>“0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60- अन्य सेवाएं 800- अन्य प्राप्तियां 15-- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियां।</p> <p>(4) आयोग द्वारा पारित आदेश की अनुपालनार्थ संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को से शास्ति की धन की वसूली सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।</p> <p>(5) रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें आयोग ने किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्त्र अधिरोपित की है, के अनुसरण हेतु उत्तरदायी रहेगा जब तक अनुपालन आख्या न प्राप्त हो जाए।</p>
आयोग का सचिव	<p>16-(1) सरकार किसी ऐसे अधिकारी को, जो सरकार की विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो, आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी।</p> <p>(2) मुख्य सूचना आयुक्त के परिवेक्षण के अधीन सचिव आयोग के प्रशासनिक कार्यकरण के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी होगा।</p> <p>(3) मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन स्वयं में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए सचिव के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाएगा।</p> <p>(4) मुख्य सूचना आयुक्त सचिव से अधीनस्थ किसी अधिकारी को संयुक्त सचिव या उप सचिव के रूप में पदाभिहित कर सकता है।</p> <p>(5) सचिव मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से स्वयं को सौंपे गए किसी कृत्य को स्वयं से अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।</p> <p>96) सचिव की अनुपस्थिति में, मुख्य सूचना आयुक्त आयोग के किसी अधिकारी को सचिव की शक्तियों के प्रयोग और कृतियों के निष्पादन</p>
आयोग का रजिस्ट्रार	<p>17-(1) सरकार किसी ऐसे अधिकारी को, जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर का ना हो, आयोग की विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। विधि अधिकारी आयोग का पदेन रजिस्ट्रार होगा।</p> <p>(2) मुख्य सूचना आयुक्त के परिवेक्षण के अधीन रजिस्ट्रार आयोग के न्यायिक कार्य करण के प्रबंध के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी होगा।</p> <p>(3) मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उप धारा(4) के अधीन स्वयं में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार के कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाएगा।</p> <p>(4) मुख्य सूचना आयुक्त रजिस्ट्रार से अधीनस्थ किसी अधिकारी को संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित क्या सकता है।</p> <p>(5) रजिस्ट्रार मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन से स्वयं को सौंपे गए किसी कृत को स्वयं से अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।</p> <p>(6) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में, मुख्य सूचना आयुक्त आयोग के किसी अधिकारी को रजिस्ट्रार की शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निष्पादन के लिए निर्देशित कर सकता है।</p>
मुद्रा एवं	<p>18- आयोग की मुद्रा एवं प्रतीक ऐसी होंगे जैसा आयोग मिले विनिर्दिष्ट करें।</p>

प्रतीक	
आयोग की भाषा	<p>19-(1) कोई शिकायत या अपील हिंदी या अंग्रेजी में फाइल की जा सकती है और उससे संबंधित समस्त दस्तावेज भी हिंदी या अंग्रेजी में फाइल किए जा सकते हैं। जहां कोई दस्तावेज मूल रूप में अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न भाषा में हो, वहां मूल दस्तावेज के साथ हिंदी या अंग्रेजी में सत्यापित अधिप्रमाणित अनुवाद भी संलग्न किया जाएगा।</p> <p>यह लिखित कथन, प्रत्युत्तर, उत्तर या आयोग के समक्ष फाइल किये गये किसी अन्य दस्तावेज के मामले में भी लागू होगा।</p> <p>(2) आयोग की कार्यवाही हिंदी में संचालित की जाएंगी।</p>

(एस० एन० शुक्ल)
प्रमुख सचिव